सं. 11015/03/2018-हिंदी

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 03 मई, 2018.

सेवा में,

विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी माननीय सदस्य।

विषयः <u>विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।</u>

माननीय महोदय/महोदया,

श्री आर.के. सिंह, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे, नई दिल्ली में आयोजित विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है।

मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि कार्यवृत्त की संबंधित मदों पर तत्काल कार्रवाई की जाए एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

<u>अनुलग्नक - यथोक्त</u>

(भारती)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23714168
ई-मेल: bharati.92@nic.in

...2...

सं. 11015/03/2018-हिंदी दिनांक: 03 मई, 2018.

प्रतिलिपि:-

1. माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव ।
2. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव।
3. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
4. सभी अधिकारी/अनुभाग, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. विद्युत मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय, संस्थान, बोर्ड आदि।
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
7. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन, "बी" विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

(भारती)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23714168
ई-मेल: bharati.92@nic.in

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को संपन्न हुई विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

विद्युत मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर.के. सिंह जी की अध्यक्षता में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची **परिशिष्ट** में दी गई है।

2. सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति की सदस्य-सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और सचिव (विद्युत) को समिति के सदस्यों का औपचारिक स्वागत करने और संबोधित करने का अनुरोध किया।

3. तदनंतर सचिव (विद्युत) ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विद्युत मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों तथा कार्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी सलाहकार समिति की पिछली बैठक के बाद किए गए मुख्य प्रयासों यथा विद्युत मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों/कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने, अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझक दूर करने हेतु प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला के आयोजन, हिंदी पत्रों के नमूने मंत्रालय की ई-ऑफिस वेबसाइट पर हेल्प-डेस्क शीर्ष में अपलोड करने, वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधा के लिए हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियां/वाक्यांश अधिकारियों को ई-मेल करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में, मैंने भी मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निदेश दिए हैं। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों द्वारा भी राजभाषा सम्मेलन, काव्य गोष्ठी एवं हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों/कार्यालयों में विभिन्न कार्यकलाप हिंदी माध्यम से आयोजित किए गए। इसके साथ-साथ सितम्बर माह में आयोजित 'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान संपन्न प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि में वृद्धि करके 'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करना' नामक दो नई प्रतियोगिताएं राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के लिए अलग-अलग शुरू की गई। इसके साथ-साथ राजभाषा विभाग की 'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने की पुरस्कार योजना' के अंतर्गत 10 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

4. सचिव (विद्युत) के संबोधन के उपरांत सदस्य-सचिव द्वारा हिंदी सलाहकार समिति की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई तथा किए गए मुख्य प्रयासों को दर्शाने के लिए एक प्रस्तुतिकरण (प्रेजेंटेशन) समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य-सचिव ने प्रस्तुतिकरण में मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए अधिकारियों द्वारा यथासंभव डिक्टेशन हिंदी में देना, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों के हिंदी विभागों में कार्यरत अधिकारियों को अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान

करना, वेबसाइट को हिंदी में भी अद्यतन करना, 'ग' क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित स्थानीय भाषा के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखकर पावरग्रिड द्वारा आम जनता में वितरित करना, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'हिंदी ई-टूल्स' लिंक को देखना, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजभाषा विभाग की 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' योजना के तहत वर्ष 2016-17 के लिए 'एनएचपीसी', 'पावर फाइनेंस कार्पोरेशन', 'केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु' तथा 'दामोदर घाटी निगम, कोलकाता' को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त होना, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बोलचाल के सरल शब्दों का ही प्रयोग करना, उपक्रमों द्वारा अपनी हिंदी पत्रिकाएं विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों को नियमित रूप से भेजना, एनटीपीसी द्वारा विशेष कार्यशाला/काव्य गोष्ठी आयोजित करना और इन कार्यशालाओं में हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को आमंत्रित करना, मंत्रालय के उपक्रमों के प्रमुखों के नाम, पदनाम आदि समिति के सदस्यों को भेजना तथा हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र जारी न करने के संबंध में राजभाषा विभाग के निर्देश के बारे में समिति को बताया। विद्युत मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन/कवि सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में समिति को बताया गया कि यथाशीघ्र राजभाषा सम्मेलन/कवि सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य-मुख्य छायाचित्र भी दिखाए गए। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी बताया गया कि मंत्रालय की ई-ऑफिस वेबसाइट तथा ई-मेल के माध्यम से 'आज का शब्द' तथा 'आज का विचार' अंग्रेजी-हिंदी में मंत्रालय के सभी अधिकारियों/अनुभागों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

5. सचिव (विद्युत) द्वारा सदस्यों को चर्चा हेतु अनुरोध किए जाने पर सर्वप्रथम **श्रीमती अहिल्या मिश्र** ने कहा कि यदि हमें हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है, तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़कर तथा सभी को मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए 'ग' क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में काव्य गोष्ठी, सम्मेलन, नाटक, अंत्याक्षरी आदि आयोजित करके हिंदी के प्रगति जागरूकता लाई जा सकती है। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध किया कि हिंदी दिवस के अवसर पर संपूर्ण माह के दौरान हिंदी में काम किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को हिंदी से जोड़ा जाए।

6. **श्री विनीत कुमार चौहान** ने कहा कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों द्वारा आयोजित हिंदी के कुछ कार्यक्रमों, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी में उन्हें भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विशेष अवसरों पर हिंदी माध्यम से कार्यक्रम मुख्यत: हिंदीतर भाषी राज्यों में आयोजित कर सकते हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने में अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी के कार्यक्रम हिंदी पखवाड़े/हिंदी माह तक सीमित न करके पूरे वर्ष आयोजित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त, 2018 में मॉरीशिस में आयोजित होने वाले 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों के यथासंभव अधिक से अधिक अधिकारी भाग लें।

7. **श्री महेश भार्गव** ने कहा कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा विद्युत मंत्रालय में अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए मंत्रालय तथा इसके उपक्रम/कार्यालय बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पावरग्रिड तथा एनटीपीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उच्चाधिकारियों द्वारा भी भाग लिया जाता है जो सराहनीय है। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तित्व निर्माण, जीवन दर्शन जैसे विषयों पर अनौपचारिक रूप से पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित किए जाए जिसमें समिति के सदस्य और सभी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी भाग लें।

8. **श्री गोपाल कृष्ण फरलिया** ने कहा कि समिति की अगली बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड, बीबीएमबी तथा एनएचपीसी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने पर मैंने पाया कि इन कार्यालयों में हिंदी में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है तथा कार्यक्रमों में सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया जो अधिकारियों के राजभाषा हिंदी के प्रति उत्साह को दर्शाता है। नीपको के संबंध में उन्होंने बताया कि वहां हिंदी में बिलकुल भी काम नहीं हो रहा है। तथापि, नीपको कार्यालय प्रमुख ने उन्हें हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने हिंदी अनुवाद में कठिन शब्दों के प्रयोग से बचने और हिंदी में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों में रिक्त हिंदी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। उपक्रमों में तैनात राजभाषा अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं जिसके लिए संबंधित उपक्रमों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी हैं। उन्होंने वेबसाइटों को पूरी तरह द्विभाषी बनाए जाने, उपक्रमों के प्रकाशन/पत्रिकाएं/राजभाषा पत्रिकाएं समिति के सदस्यों को भेजने, समिति की बैठक में की गई सिफारिशों/लिए गए निर्णयों को पत्रिकाओं में प्रकाशित करने, मूल रूप से हिंदी कामकाज बढ़ाने, विशेष रूप से उच्चाधिकारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में काम करने, हिंदी अधिकारियों को अन्य कार्यों में न लगाने का भी अनुरोध किया।

9. **श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी** ने कहा कि उन्होंने पिछली बैठक में भी सुझाव दिया था कि मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों/कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा विचार-विमर्श केवल हिंदी में करें। इस अवधि के दौरान वे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग न करके उनके हिंदी पर्याय बोलने का प्रयास करें। इससे अधिकारियों/कर्मचारियों का हिंदी ज्ञान समृद्ध होगा और अंततोगत्वा सभी अधिकारी तथा कर्मचारी सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने में समर्थ होंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास अब तक भी नहीं हो पाया है। उनका कहना था कि भाषा के विकास के लिए अनुरोध करना उचित प्रतीत नहीं होता। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए भाषा का विकास न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य है।

(कार्रवाई 5-9 बिंदुओं तक: विद्युत मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम/कार्यालय)

10. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने चर्चा का संज्ञान लेते हुए कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में 2 बैठकें (न्यूनतम) आयोजित की जानी चाहिए। हिंदी पदों को भरने के संबंध में उन्होंने कहा कि कनिष्ठ अनुवादक/वरिष्ठ अनुवादक के पदों को शीघ्र भर दिया जाएगा। यदि कोई कार्यालय केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल होना चाहता है तो वह इसके लिए प्रस्ताव राजभाषा विभाग को मंत्रालय के माध्यम से भेज सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार तथा हिंदी में टिप्पण को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। समिति की माननीय सदस्या श्रीमती अहिल्या मिश्र के दक्षिण भारतीय भाषाओं को हिंदी से जोड़ने के सुझाव के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 'लीला मोबाइल एप' का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को किया गया है जिसमें 15 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। इसके साथ-साथ राज्यों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में जिला स्तर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के जरिए हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइटों की पूरी तरह से द्विभाषी बनाने की बात को भी दोहराया।

(कार्रवाई: विद्युत मंत्रालय, इसके नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम/कार्यालय तथा राजभाषा विभाग)

11. सचिव (विद्युत) ने बैठक में हुई चर्चा का संज्ञान लेते हुए कहा कि मैं समिति को आश्वस्त करता हूँ कि मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारी प्रतिदिन एक घंटा नहीं अपितु 3 से 4 घंटे हिंदी में विचार-विमर्श करते हैं। उन्होंने कहा कि समिति की पिछले 5 वर्ष में हुई बैठकों के मुख्य-मुख्य बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति को अगली बैठक में अवगत कराया जाए। सचिव (विद्युत) ने समिति को इस बात से अवगत कराया कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं हिंदी में श्रुतलेखन देते हैं और कई बार हमें हिंदी के पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करना पड़ता है जो मंत्रालय में हो रहे मूल कार्य की गुणवत्ता को दर्शाता है। सचिव (विद्युत) ने समिति को आश्वस्त किया कि बैठक में जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(कार्रवाई: विद्युत मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम/कार्यालय)

12. कार्यसूची पर विचार-विमर्श के पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ उपक्रमों की राजभाषा पत्रिकाओं/ई-पत्रिका तथा उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया। पावरग्रिड के राजभाषा मोबाइल एप्लीकेशन तथा

'एस.ए.पी./ई.एस.एस.' द्वारा द्विभाषी वेतन पर्ची' का शुभारंभ भी माननीय मंत्री जी के कर-कमलों से किया गया।

13. पत्रिकाओं के विमोचन के पश्चात अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सभी देश निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और हिंदी का कार्य देश निर्माण का ही कार्य है। भाषा और संस्कृति देश को एकसूत्र में बांधने की कड़ी है। सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, लेकिन भाषा की विरासत हमारे पास कम है। देश के अलग-अलग प्रांतों में विभिन्न भाषी-भाषी हैं, हमें उन सभी का सम्मान करना है। देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य जोर-जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जोर-जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं हो सका। हिंदी के कार्य को प्रेम से तथा लोगों का मन जीत कर करना होगा, नियम और कानून से यह काम नहीं किया जा सकता है। हम जब आजाद हुए थे, तो उससे पहले अंग्रेजी भाषा को ही सफलता की कुंजी माना जाता था और अंग्रेजी जानने वाले ही उच्च पदों पर पहुँच पाते थे। हमारे पूर्वजों ने विद्यालयों में हिंदी में शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की और आज भी तकनीकी विषयों तथा चिकित्सा और कानून आदि की उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकें और तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध नहीं है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना होगा और यथार्थवादी होना चाहिए। सभी आविष्कार, अनुसंधान और पेटेंट विदेशों में हो रहे हैं। चीन में लोगों ने इन आविष्कारों एवं अनुसंधानों को ध्यान में रखा है, हमें भी विश्व में हो रहे अनुसंधानों की जानकारी रखनी चाहिए। आज आप कहीं भी चले जाए तो पाएंगे कि अब अधिकांश लोग हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। हिंदी का विकास साहित्य और चलचित्र के माध्यम से धीरे-धीरे होगा। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे मंत्रालय के उपक्रमों में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है और वे हिंदी की स्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं।

(कार्रवाई: विद्युत मंत्रालय तथा
इसके नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम/कार्यालय)

सदस्य-सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

******

परिशिष्ट

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को संपन्न बैठक की उपस्थिति सूची

1.	श्री आर.के. सिंह विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	**अध्यक्ष**
	गैर-सरकारी सदस्य	
2.	डॉ. अहिल्या मिश्र	सदस्य
3.	श्री विनीत कुमार (चौहान)	सदस्य
4.	डॉ. महेश भार्गव	सदस्य
5.	श्री गोपाल कृष्ण फरलिया	सदस्य
6.	श्री अमलेश्वर चतुर्वेदी	सदस्य
	सरकारी सदस्य	
7.	श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
8.	श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
9.	डॉ. बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
10.	सुश्री भारती, संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा)	सदस्य-सचिव
	मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रम/कार्यालय	
11.	श्री गुरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
12.	श्री आई.एस. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सदस्य
13.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
14.	श्री बलराज जोशी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड	सदस्य
15.	श्री नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन लिमिटेड	सदस्य
16.	श्री डी.वी. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	सदस्य
17.	डॉ. पी.वी. रमेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
18.	श्री ए.जी. वेस्ट खारकोंगर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
19.	श्री प्रबीर कुमार मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम	सदस्य
20.	श्री देवेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड	सदस्य
21.	प्रो. (डॉ.) राजेंद्र कुमार पाण्डेय, महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य

22.	श्री अभय बाकरे, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सदस्य
23.	श्रीमती मीनाक्षी डावर, निदेशक (मानव संसाधन), पावर सिस्टम आपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	प्रतिनिधि
24.	श्री सनोज कुमार झा, सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग	प्रतिनिधि
25.	श्री एस.भट्टाचार्य, अतिरिक्त निदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	प्रतिनिधि
26.	श्री अमित प्रकाश, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	उपस्थित
27.	श्री भीम सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.)	उपस्थित
28.	श्री सत्यमूर्ति नागेश, सहायक निदेशक (रा.भा.)	उपस्थित